

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 563

दिनांक: 25/2/22

मैसर्स सिद्धि विनायक होम्स जरिये प्रोपराइटर
श्री राजेश सहारण पुत्र श्री बी.आर.सहारण
21/180 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।

विषय: — नवजीवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना गायत्री नगर-बी के भूखण्ड संख्या 3,4,5, 81 82/83 क्षेत्रफल 1506.91 व.ग. (1259.95 व.मी.) के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

सन्दर्भ:— आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.1.2022

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.1.2022 द्वारा नवजीवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना गायत्री नगर-बी के भूखण्ड संख्या 3,4,5, 81 82/83 के आवासीय भवन मानचित्र जिसमें स्टील्ट + छठी फ्लोर कुल ऊँचाई स्टील्ट + 18 मीटर अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे। जोनल लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 16.2.2022 में उक्त भूखण्ड संख्या 3,4,5 81 82/83 के आवासीय भवन मानचित्र स्टील्ट + छठी फ्लोर कुल ऊँचाई स्टील्ट + 18 मीटर के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। जिस पर निम्न शर्तों के साथ भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 7 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जयपुर-302004
दूरभाष- (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569896 एक्सटेंशन: (8250); फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {dc05jdajapur@gmail.com}

9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-5) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।

10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-5) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।

11. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।

14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

16. तकनीकी विज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकी विज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।

18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोलगवाया जावे।

20. प्राइवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय पर जाँच की जाए।

21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।

22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जा ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

24. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथ तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-5

25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/ जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

32. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

33. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

34. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

35. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

37. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

38. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।

समायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सुर्किड, जयपुर, जयपुर-302004
दूरभाष- (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 : फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {dc05jdaipur@gmail.com}

39. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम की अनुपालना में " गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

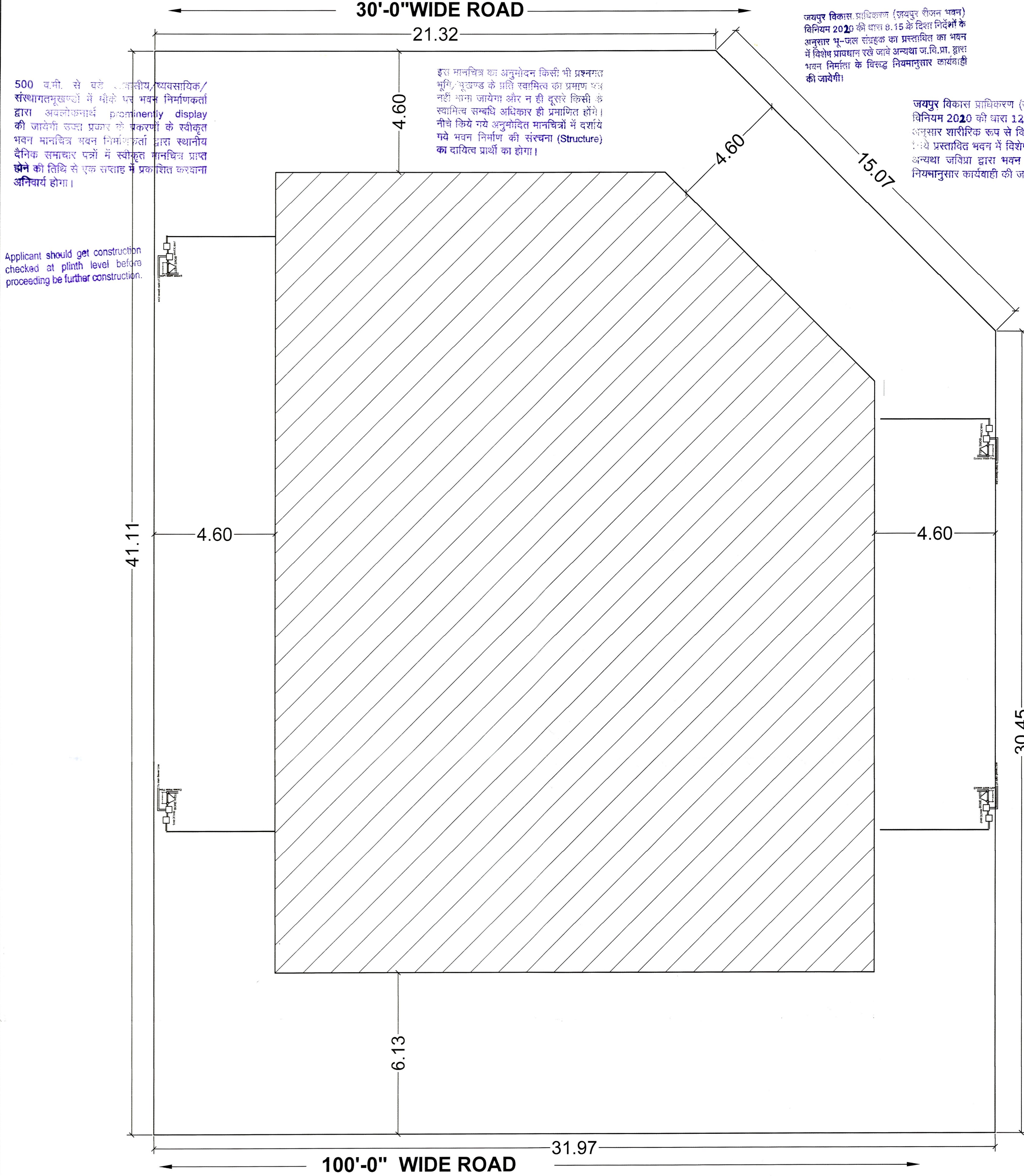
41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जायें।

43. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।

44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

उपायुक्त जोन-5
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के
अनुसार भू-जल संयंत्र का प्रस्तावित का भवन
में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा
भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही
की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे
अन्यथा जयिप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

[Signature]

सहायक नगर नियोजक
जोन-5 जयिप्रा, जयपुर

उपायुक्त एवं निदेशित अधिकारी
जोन-5
जयपुर विकास प्राधिकरण

AREA CHART (SQ.MT.)					
Sr.No.	FLOOR	Block Area	Cut out/Shaft	Gross Builtup area	LIFT WELL
1	STILT FLOOR PLAN	763.30		763.30	
2	FIRST FLOOR	763.30	9.6	753.70	7.8
3	SECOND FLOOR	763.30	9.6	753.70	7.8
5	THIRD FLOOR	763.30	9.6	753.70	7.8
6	FOURTH FLOOR	763.30	9.6	753.70	7.8
7	FIFTH FLOOR	763.30	9.6	753.70	7.8
8	SIXTH FLOOR	763.30	9.6	753.70	7.8
9	TERRACE	66.5		66.50	
	TOTAL	5409.6	57.6	5352.00	46.8
					4475.4

TOTAL PLOT AREA CALCULATION

- 01:- TOTAL PLOT AREA = 1259.95 SQ.MT.
02:- CONSUMED B.A.R. AREA =4475.4 SQ.MT.
03:- NET CONSUMED B.A.R. = 4475.4/ 1259.95= 3.89 %
04:- PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
05:-PERMISSIBLE HEIGHT= PLINTH 1.2 MT.+ STILT +18.00 MT.
06:-PROPOSED HEIGHT = PLINTH .5 MT.+ STILT(4.5) +17.95 MT.
07:-GREEN AREA REQUIRED =125.99 SQ.MT. PROPOSED (128.5 SQ.MT.)
08:-CLUB HOUSE REQUIRED = (2%/ 50 SQ.MT.) PROPOSED (60.9 SQ.MT.)

PARKING CALCULATION

- 06:- TOTAL RESI.PARKING REQUIRED :-
= $\frac{\text{B.A.R.}}{115} = \frac{4475.4}{115} = 38.91 \text{ E.C.U.}$
7:- ADD 10 % VISITORS :-38.91 X 10%= 3.89 E.C.U.
8:- TOTAL = 42.81 E.C.U.
9:- 75% CAR = 32.11 E.C.U. 33 CAR
10:- 25% SCOOTER = 10.70 E.C.U. 33 SCOOTER

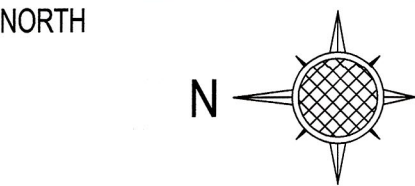
TOTAL PARKING PROVIDED

FLOOR	SURFACE PARKING	SCOOTER PARKING	TOTAL E.C.U.
Open Ground	26.00 E.C.U.	17.00 Scooter	31.67 E.C.U.
STILT FLOOR	7.00 E.C.U.	16.00 Scooter	12.33 E.C.U.
TOTAL	33.00 E.C.U.	33.0 Scooter	44.00 E.C.U.

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....को
रखा जाकर..... भू-उपयोग के भवन मानचित्र पत्रांक
जयिप्रा/उपा./जोन-05/2022/की.....दिनांक.....
को जारी कर अनुमोदित किये गये है।

PROJECT TITLE
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF PLOT
NO- 03,04,05,81& 82/83 GAYATRI NAGAR B,
JAIPUR

DRAWING NAME
SITE PLAN

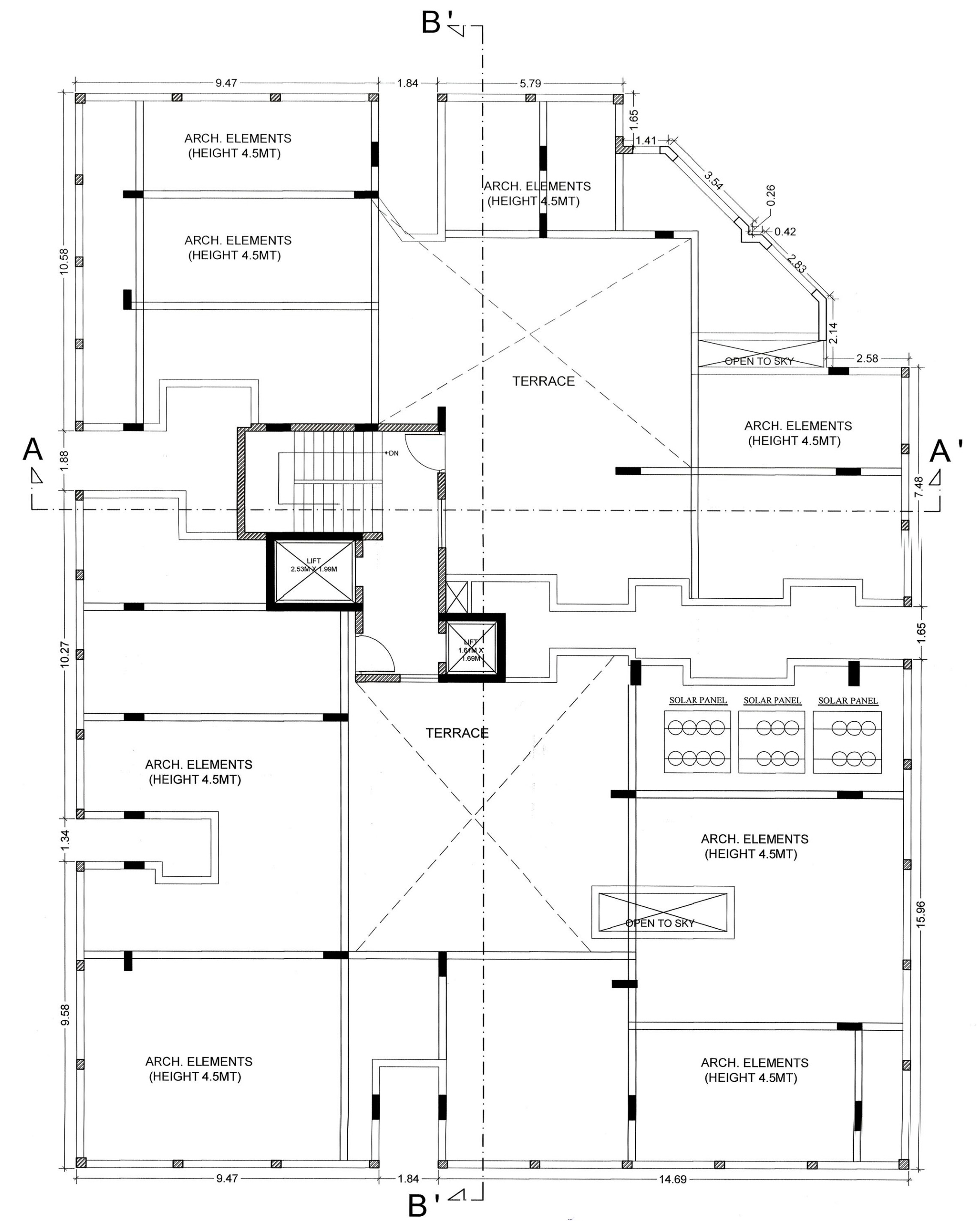


SCALE
1:100

APPLICANT
SHREE SIDDHI VINAYAK HOMES
[Signature]
Proprietor

ARCHITECT:-
[Signature]
Ankur Shah
Architect
CA/09/20110

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....को
रखा जाकर.....
जदिप्रा/उपा./जोन-05/2022/डी-.....दिनांक.....
को जारी कर अनुवादित विधे गये है।



TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित
पेड़ लगाओ—हरियाली बढ़ाओ।

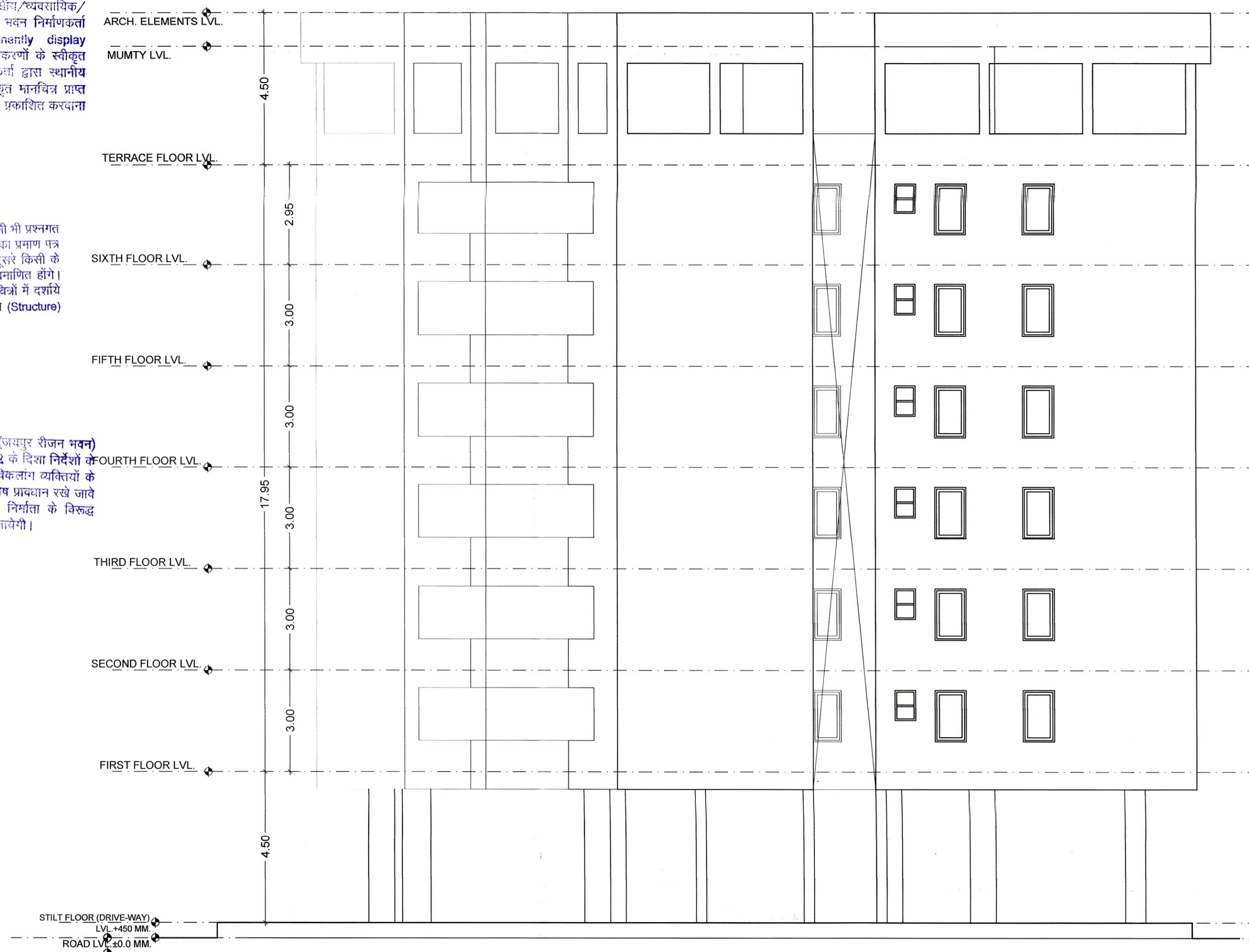
सहायक नगर नियोजक
ज़ोन-5 जयप्रा, जयपुर

युक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-5
नकल विकास प्राधिकरण
खरपुर

PROJECT TITLE	DRAWING NAME	NORTH	SCALE	APPLICANT	ARCHITECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF PLOT NO- 03,04,05,81& 82/83 GAYATRI NAGAR B, JAIPUR	PLAN		1:100		

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बन्धि अधिकार ही प्रमाणित होंगे।
नोबे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व प्राप्ति का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रायधान रखे जावे अन्वथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



EAST SIDE ELEVATION

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....को
स्था जाकर.... भू-उपयोग के भवन मानचित्र पत्रांक.....
जयप्रा/उपा./जोन-05/2022/डी-.....दिनांक.....
को जारी कर अनुमोदित किये गये है।

जयपुर विकास प्रविधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2022 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



WEST SIDE ELEVATION



NORTH SIDE ELEVATION



SOUTH SIDE ELEVATION

PROJECT TITLE	DRAWING NAME	NORTH	SCALE	APPLICANT	ARCHITECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF PLOT NO- 03,04,05,81& 82/83 GAYATRI NAGAR B, JAIPUR	ELEVATION		1:100		

500 वर्ग मी. से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों में भूके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ **prominently display** की जायेगी उचित प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बन्धि अधिकार ही प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संसाधन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

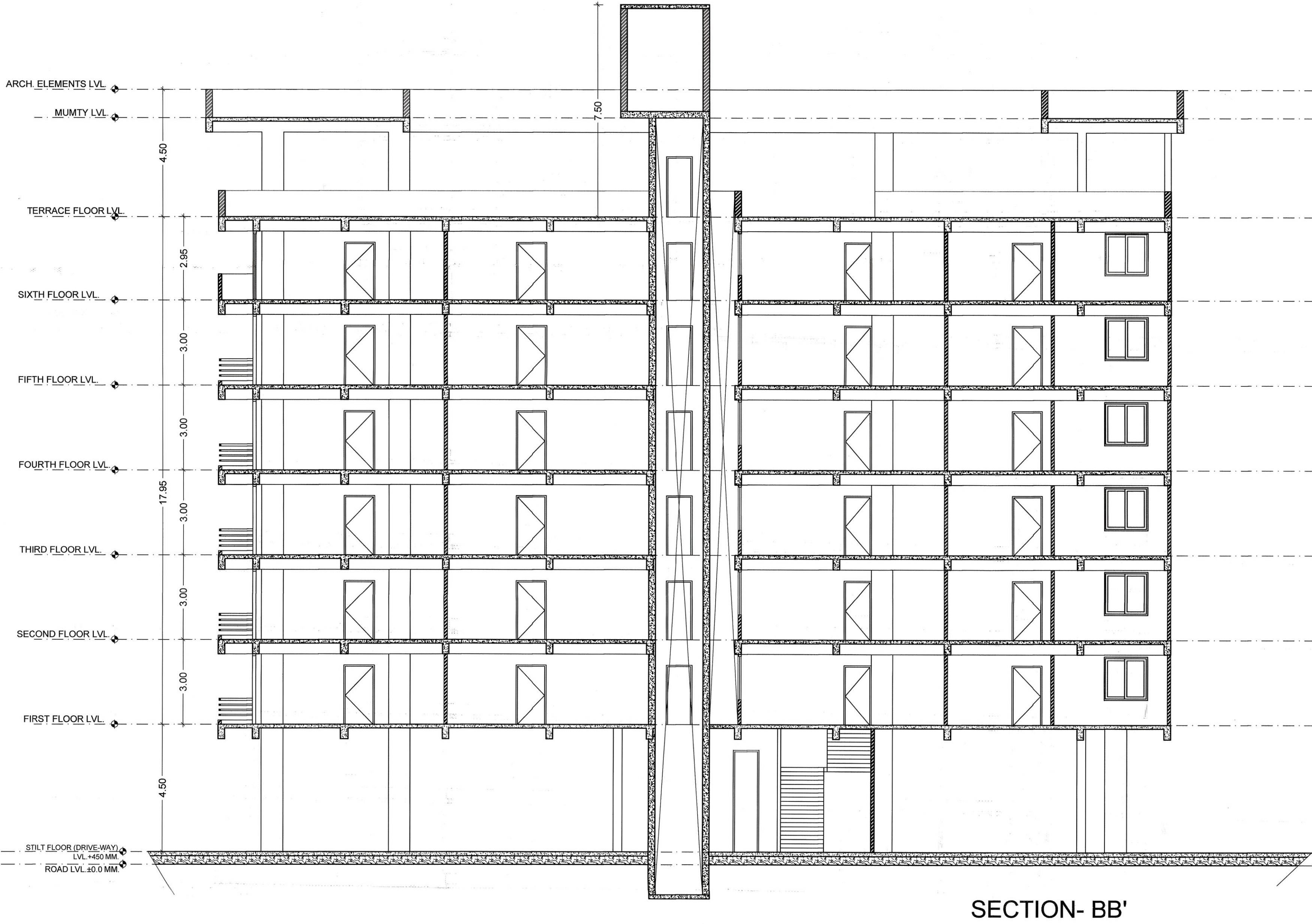
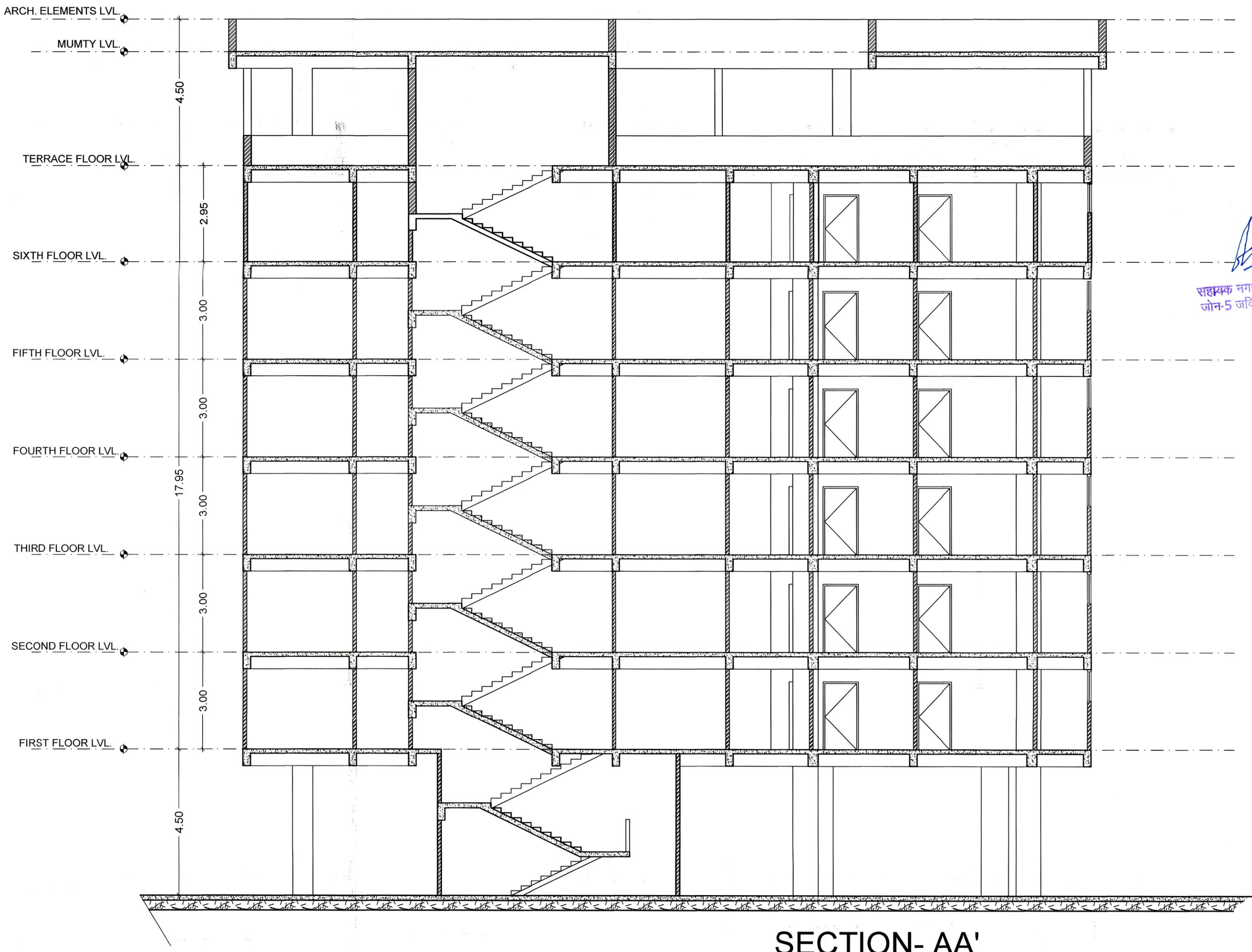
Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

प्रकरण को जैन स्तरीय समिति बैठक दिनांक.....को रखा जाकर..... भू-उपयोग के भवन मानचित्र पत्रक जयिप्रा/उपम./जोन-08/2022/डी.....दिनांक को जारी कर अनुमोदित किये गये हैं।

अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ।

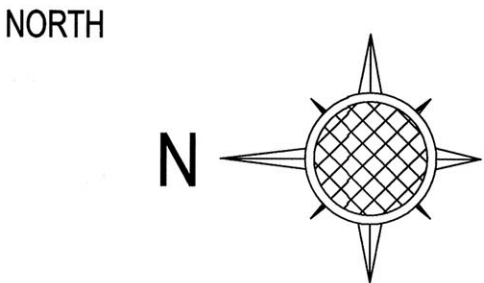
सहायक नगर नियोजक
जोन-5 जयिप्रा, जयपुर

उपस्थित एवं प्रामाणिक अधिकारी
जोन-5
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



PROJECT TITLE
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF PLOT
NO- 03,04,05,81& 82/83 GAYATRI NAGAR B,
JAIPUR

DRAWING NAME
SECTION



SCALE
1:100

APPLICANT
For SHREE SIDDHI VINAYAK HOMES
Proprietor

ARCHITECT:-
Ankur Shah
Architect
CA/99/24119